"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2017 — वैशाख 8, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल, 2017 (वैशाख 8, 1939)

क्रमांक-5070/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (क्रमांक 8 सन् 2017) जो शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक, 2017

खंडों का क्रम

खंड

खंड

134. अपराधों का संज्ञान ।
135. आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान ।
136. कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनो की सुसंगतता ।
137. कंपनियों द्वारा अपराध ।
138. अपराधों का प्रशमन ।

अध्याय 20

संक्रमणकालीन उपबंध

139. विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन ।
140. इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं ।
141. जॉब वर्क के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध ।
142. प्रकीर्ण संक्रमण कालीन उपबंध ।

अध्याय 21

प्रकीर्ण

143. जॉब वर्क की प्रक्रिया ।
144. कतिपय मामलों में दस्तावेजों के लिए उपधारणा ।
145. माइक्रो फिल्मों, दस्तावेजों की प्रतिकृति प्रतियों और कंप्यूटर प्रिंट आउट की दस्तावेजों के रूप में और साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता ।
146. सामान्य पोर्टल ।
147. निर्यात समझा जाना ।
148. कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति ।
149. माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग ।
150. सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता ।
151. आंकड़े संग्रहण करने की शक्ति ।
152. सूचना के प्रकटन पर वर्जन ।
153. किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना ।
154. नमूने लेने की शक्ति ।
155. सबूत का भार ।
156. व्यक्ति जिन्हें लोक सेवक समझा जाएगा ।
157. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
158. लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना ।
159. कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन ।
160. कतिपय आधारों पर निर्धारण कार्यवाहियां, आदि का अविधिमान्य न किया जाना ।
161. अभिलेख पर प्रकट त्रुटि का परिशोधन ।
162. सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन ।
163. फीस उद्ग्रहण ।
164. नियमों को बनाने की सरकार की शक्ति ।
165. विनियम बनाने की शक्ति ।
166. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्र 8 सन 2017)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंत:राज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

1882 का 4

(1) "अनुयोज्य दावे" का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में उसके लिए समनुदेशित है ;

(2) "परिदान का पता" से अभिप्रेत है माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसा पता, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है ;

(3) "अभिलेख पर पता" से अभिप्रेत है पाने वाले का वह पता, जो प्रदायकर्ता के अभिलेखों में उपलब्ध है ;

(4) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, किंतु इसके अंतर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण नहीं है ;

(5) "अभिकर्ता" से अभिप्रेत है फेक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढ़तिया,

प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेंट), नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(6) "संकलित आवर्त" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय आधार पर संगणित सामान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के सभी कराधेय प्रदायों (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है) छूट प्राप्त प्रदायों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और अंतरराज्यिक प्रदाय का संकलित मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है ;

(7) "कृषक" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब, जो,--

(क) स्वयं के श्रम द्वारा ; या

(ख) कुटुंब के श्रम द्वारा ; या

(ग) नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के मजदूरों द्वारा,

भूमि पर खेती करता है ;

(8) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत धारा 107 में यथानिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी ;

(9) "अपील अधिकरण" से अभिप्रेत है धारा 109 में निर्दिष्ट माल और सेवा कर अपील अधिकरण;

(10) "नियत तारीख" से अभिप्रेत है वह तारीख जिस पर इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे ;

(11) "निर्धारण" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण और इसके अंतर्गत स्वत:निर्धारण, पुन: निर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण भी है ;

1961 का 43

(12) "सहयुक्त उद्यमों" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92क में उसके लिए समनुदेशित है ;

(13) "संपरीक्षा" से अभिप्रेत है इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उसके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए परीक्षा ;

(14) "प्राधिकृत बैंक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम का संग्रहण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा ;

(15) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है धारा 116 के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि ;

1963 का 54

(16) "बोर्ड" से अभिप्रेत है केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ;

(17) "कारबार" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,--

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पद्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी आर्थिक लाभ के लिए हो या न हो ;

(ख) उपखंड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार ;

(ग) उपखंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिणाम, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो ;

(घ) कारबार के प्रारंभ होने या उसके बंद होने के संबंध में पूंजी माल सहित माल और सेवाओं का प्रदाय या अर्जन ;

(ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या ऐसे किसी निकाय द्वारा (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) उसके सदस्यों की सुविधाओं या फायदों के लिए कोई व्यवस्था ;

(च) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश ;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, प्रदाय की गई सेवाएं ;

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगमान के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे क्लब में के बुक-मेकर की अनुज्ञप्ति ; और

(झ) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं ;

(18) "कारबार शीर्षका" से अभिप्रेत है किसी ऐसे उद्यम का विशिष्ट संघटक, जो ऐसे पृथक्-पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागम के अध्यधीन है, जो उन अन्य कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है ;

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण

करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएं, जिनसे संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,--

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति ;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति ;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग ;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त पद्धतियां ; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहाँ भी लागू हो), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं हैं ;

(19) "पूंजी माल" से अभिप्रेत है ऐसा माल, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत है और जिनका कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है ;

(20) "नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जहां उसके कारबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में यदा-कदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है ;

(21) "केंद्रीय कर" से अभिप्रेत है केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्ग्रहीत केंद्रीय माल और सेवा कर ;

(22) "उपकर" का वही अर्थ हो, जो माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में उसके लिए समनुदेशित है ;

1949 का 38

(23) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से अभिप्रेत है चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट;

(24) "आयुक्त" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर आयुक्त;

(25) "बोर्ड का आयुक्त" से अभिप्रेत है केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त ;

(26) "सामान्य पोर्टल" से अभिप्रेत है धारा 146 में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रानिक पोर्टल ;

(27) "सामान्य कार्य दिवस" से अभिप्रेत हैं लगातार ऐसे दिन, जिन्हें केंद्रीय सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजपत्रित छुट्टी घोषित नहीं किया गया है ;

1980 का 56

(28) "कंपनी सचिव" से अभिप्रेत है कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित कंपनी सचिव ;

(29) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी, जिसे सरकार द्वारा

अधिसूचित किया जाए;

(30) "संयुक्त प्रदाय" से अभिप्रेत है किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को किया गया कोई ऐसा प्रदाय, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय प्रदायों से मिलकर बना है या उनका कोई ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतितः बांधा गया है और प्रदाय किया गया है, जिनमें से एक मुख्य प्रदाय है ;

दृष्टांत : जहां माल का पैक और परिवहन, बीमा के साथ किया जाता है, वहां माल, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा का संयुक्त प्रदाय होगा और माल का प्रदाय एक मुख्य प्रदाय होगा ।

(31) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में "प्रतिफल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी है,--

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यकृति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके प्रलोभन के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई अनुदान सम्मिलित नहीं होगी ;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके प्रलोभन के लिए, किसी कार्य या संयमित रहने का धनीय मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई अनुदान सम्मिलित नहीं होगी :

परंतु माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में दिए गए निक्षेप को ऐसे प्रदाय के लिए किए गए संदाय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जब तक कि प्रदायकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करे ;

(32) "माल का निरंतर प्रदाय" से अभिप्रेत है माल का ऐसा प्रदाय, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल, पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर प्रदायकर्ता, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी है ;

(33) "सेवाओं का निरंतर प्रदाय" से अभिप्रेत है सेवाओं का ऐसा प्रदाय, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और इसके अंतर्गत

ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी है ;

(34) "प्रवहरण" के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है ;

1959 का 23

(35) "लागत लेखाकार" से अभिप्रेत है लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखाकार ;

(36) "परिषद्" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद्;

(37) "जमापत्र" से अभिप्रेत है धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज ;

(38) "नामे नोट" से अभिप्रेत है धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज;

(39) "समझा गया निर्यात" से अभिप्रेत है माल का ऐसा प्रदाय, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए ;

(40) "अभिहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

2000 का 21

(41) "दस्तावेज" के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (न) में यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी है ;

(42) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में "चुंगी वापसी" से अभिप्रेत है ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित निवेश पर या किसी घरेलू निवेशों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट;

(43) "इलैक्ट्रानिक नकद खाते" से अभिप्रेत है धारा 49 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक नकद खाता;

(44) "इलैक्ट्रानिक वाणिज्य" से अभिप्रेत है, डिजिटल या इलैक्ट्रानिक नेटवर्क के माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय जिसके अंतर्गत डिजिटल उत्पाद भी हैं ;

(45) "इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति, जो इलैक्ट्रानिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो ;

(46) "इलैक्ट्रानिक जमा खाते" से अभिप्रेत है धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक जमा खाता ;

(47) "छूट प्राप्त प्रदाय" से अभिप्रेत है ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय, जिस पर कर की दर शून्य हो या जिसे धारा 11 या एकीकृत माल

और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकती है और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय प्रदाय भी शामिल है ;

(48) "विद्यमान विधि" से अभिप्रेत है माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाली विधायिका या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा बनाया गया है या पारित किया गया है ;

(49) "कुटुंब" से अभिप्रेत है,--

(i) व्यक्ति का पति या पत्नी और बच्चे ; और

(ii) व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित है ;

(50) "नियत स्थापन" से अभिप्रेत है (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं का प्रदाय करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए पर्याप्त डिग्री के स्थायित्व और मानव और तकनीकी संसाधनों के उपयुक्त संरचना की विशिष्टता से वर्णित है ;

(51) "निधि" से अभिप्रेत है धारा 57 के अधीन स्थापित ग्राहक कल्याण निधि;

(52) "माल" से अभिप्रेत है मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति, किंतु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिसका प्रदाय के पूर्व या प्रदाय की संविदा के अधीन पृथक् किए जाने का करार किया गया है ;

(53) "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;

(54) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम" से अभिप्रेत है माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 ;

(55) "माल और सेवा कर व्यवसायी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसका धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है ;

1976 का 80

(56) "भारत" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथानिर्दिष्ट ऐसे सागर-खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे का समुद्र तल और अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र ;

(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" से अभिप्रेत है एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;

(58) "एकीकृत कर" से अभिप्रेत है एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उदगृहीत एकीकृत माल और सेवा कर ;

(59) "इनपुट" से अभिप्रेत है कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल ;

(60) "इनपुट सेवा" से अभिप्रेत है कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा ;

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से अभिप्रेत है माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है ;

(62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" से अभिप्रेत हैं माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर प्रभारित केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,--

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

किंतु इसमें उद्ग्रहण के प्रशमन के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है ;

(63) "इनपुट कर प्रत्यय" से अभिप्रेत है इनपुट कर का प्रत्यय ;

(64) "माल का अंतरराज्यिक प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसके लिए समनुदेशित है ;

(65) "सेवाओं का अंतरराज्यिक प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसके लिए समनुदेशित है ;

(66) "बीजक" या "कर बीजक" से अभिप्रेत है धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक;

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक प्रदाय" से अभिप्रेत है क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति ;

(68) "जॉब वर्क" से अभिप्रेत है किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया और शब्द "जॉब वर्कर" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(69) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत हैं,--

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका ;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद्, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का कानूनी रूप से हकदार है या जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है ;

2006 का 41

(घ) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड;

(ङ) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद् ;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् ;

(70) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान" से अभिप्रेत है,--

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां प्रदाय की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का

अवस्थान;

(71) "सेवाओं के प्रदायकर्ता का अवस्थान" से अभिप्रेत है,--

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों से किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन है, वहां प्रदाय की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्रदायकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान;

(72) "विनिर्माण" से अभिप्रेत है कच्ची सामग्री या निवेश का ऐसी रीति से प्रसंस्करण, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का अविर्भाव होता है और शब्द "विनिर्माता" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(73) "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है ऐसी पूरी रकम, जिसकी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और प्रदायकर्ता संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए संदाय किए जाने की अपेक्षा होती है ;

(74) "मिश्रित प्रदाय" से अभिप्रेत हैं किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समुच्चय का, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्-पृथक् प्रदाय, जहां ऐसे प्रदाय से कोई संयुक्त प्रदाय गठित नहीं होता है ।

दृष्टांत : डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाए गए पैकेज का प्रदाय, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह प्रदाय मिश्रित प्रदाय होगा । इन मदों में से प्रत्येक मद का अलग-अलग भी प्रदाय किया जा सकता है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा । यदि इन मदों का अलग-अलग प्रदाय किया जाता है तो वह मिश्रित प्रदाय नहीं होगा ;

(75) "धन" से अभिप्रेत है भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चैक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, साख पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चैक, मनी आर्डर, डाक या इलैक्ट्रानिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लिखत, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के

परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किंतु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विधा मूल्य है ;

1988 का 59

(76) "मोटर यान" का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (28) में उसका है ;

(77) "अनिवासी कराधेय व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो यदा कदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है, किंतु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है ;

(78) "गैर-कराधेय प्रदाय" से अभिप्रेत है माल या सेवाओं या दोनों का ऐसा प्रदाय, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर से उदगृहीत नहीं है ;

(79) "गैर-कराधेय क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र, जो कराधेय क्षेत्र से बाहर है ;

(80) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना और शब्द "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(81) "अन्य राज्यक्षेत्र" में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खंड (114) के उपखंड (क) से उपखंड (ङ) में निर्दिष्ट हैं ;

(82) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "आउटपुट कर" से अभिप्रेत है उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर, किंतु इसमें विपरीत प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर अपवर्जित है ;

(83) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "जावक प्रदाय" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन या किसी भी अन्य रीति से किया गया प्रदाय;

(84) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) कोई व्यष्टि ;

(ख) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब ;

(ग) कोई कंपनी ;

(घ) कोई फर्म ;

(ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ;

(च) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो ;

2013 का 18

(छ) किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी ;

(ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय ;

(झ) सहकारी सोसाइटी से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी ;

(ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;

(ट) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ;

1860 का 21

(ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी ;

(ड) न्यास ; और

(ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी में नहीं आता है ;

(85) "कारबार के स्थान" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) वह स्थान, जहां से सामान्य तौर से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है या प्राप्त करता है ; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित रखता है ; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है ;

(86) "प्रदाय का स्थान" से अभिप्रेत है एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 5 में यथानिर्दिष्ट प्रदाय का स्थान;

(87) "विहित" से अभिप्रेत है परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(88) "प्रधान" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(89) "कारबार का मुख्य स्थान" से अभिप्रेत है रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान ;

(90) "मुख्य प्रदाय" से अभिप्रेत है ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय, जो किसी संयुक्त प्रदाय का प्रबल तत्व है और जिसके लिए उस संयुक्त प्रदाय के भागरूप कोई

अन्य प्रदाय आनुषंगिक है ;

(91) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "समुचित अधिकारी" से अभिप्रेत है आयुक्त या राज्य कर का अधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है ;

(92) "तिमाही" से अभिप्रेत है ऐसी अवधि, जिसमें किसी कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास समाविष्ट हों ;

(93) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के "प्राप्तिकर्ता" से अभिप्रेत है,--

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसा व्यक्ति, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है;

(ख) जहां माल के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसको माल प्रदत्त किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है ;

(ग) जहां किसी सेवा के प्रदाय के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसे सेवाएं दी जाती है,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे प्रदाय किया गया है, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा ;

(94) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किंतु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है ;

(95) "विनियम" से अभिप्रेत हैं सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिश पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम;

(96) माल के संबंध में "हटाए जाने" से अभिप्रेत है,--

(क) उसके प्रदायकर्ता द्वारा या ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण;

(97) "विवरणी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विहित या उससे अन्यथा कोई विवरणी;

(98) "विपरीत प्रभार" से अभिप्रेत है धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के

अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता के बजाय, माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व;

(99) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 108 में यथा निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी ;

(100) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची ;

1956 का 42

(101) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसके लिए समनुदेशित है ;

(102) "सेवाओं" से अभिप्रेत है माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं ;

(103) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ;

(104) "राज्य कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन उदगृहीत कर;

(105) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में "प्रदायकर्ता" से अभिप्रेत होगा उक्त माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला व्यक्ति और इसमें प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा ;

(106) "कर अवधि" से अभिप्रेत है ऐसी अवधि, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है ;

(107) "कराधेय व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है ;

(108) "कराधेय प्रदाय" से अभिप्रेत है ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्गृहणीय है ;

(109) "कराधेय राज्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा राज्यक्षेत्र, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं ;

(110) "दूर-संचार सेवा" से अभिप्रेत है किसी प्रकार की ऐसी सेवा, (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विसेस, आडियो टेक्स्ट सर्विसेस, वीडियो टेक्स्ट सर्विसेस, रेडियो पेजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी है) जो उपयोगकर्ता को किसी संकेत, सिगनल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेषण या ग्रहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रो मैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है;

(111) "छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ;

(112) "राज्य में आवर्त" से अभिप्रेत है किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है) सभी कराधेय प्रदायों और छूट प्राप्त प्रदायों, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और राज्य से किया गया माल या सेवाओं या दोनों का अंतरराज्यिक प्रदाय, का संकलित मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित हैं ;

(113) "प्रायिक निवास स्थान" से अभिप्रेत है,--

(क) किसी व्यक्ति की दशा में ऐसा स्थान, जहां वह सामान्य तौर पर निवास करता है ;

(ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान, जहां व्यक्ति निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है ;

(114) "संघ राज्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है,--

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप ;

(ख) लक्षद्वीप ;

(ग) दादरा और नागर हवेली ;

(घ) दमन और दीव ;

(ङ) चंडीगढ़ ; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र ;

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा ;

(115) "संघ राज्यक्षेत्र कर" से अभिप्रेत है संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उदगृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर;

(116) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" से अभिप्रेत है संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;

(117) "विधिमान्य विवरणी" से अभिप्रेत है धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई विवरणी, जिस पर स्वत: निर्धारित कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है;

(118) "वाऊचर" से अभिप्रेत है कोई ऐसी लिखत, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां प्रदाय किए जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी प्रदायकर्ताओं की पहचान या तो लिखत पर ही उपदर्शित है या दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, इसके अंतर्गत ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी सम्मिलित हैं ;

(119) "कार्य संविदा" से अभिप्रेत है किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा जहां ऐसी संविदा के निष्पादन में (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) माल के रूप में संपत्ति का अंतरण शामिल हैं ;

(120) शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियमों में उनके लिए समनुदेशित हैं ;

अध्याय 2

प्रशासन

इस अधिनियम के अधीन अधिकारी.

3. सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों के वर्ग को नियुक्त करेगी, अर्थात् :--

(क) राज्य कर आयुक्त ;

(ख) राज्य कर विशेष आयुक्त ;

(ग) राज्य कर अपर आयुक्त ;

(घ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त;

(ङ) राज्य कर उपायुक्त ;

(च) राज्य कर सहायक आयुक्त ; और

(छ) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे :

2005 का 2

परंतु छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा।

अधिकारियों की नियुक्ति.

4. (1) सरकार, धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे ।

(2) आयुक्त का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य पर होगा, विशेष आयुक्त और अपर आयुक्त का अधिकार क्षेत्र उन्हें सौंपे गए समस्त या किसी कार्य के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राज्य पर या जहाँ राज्य सरकार ऐसा निर्देशित करती है उसके किसी स्थानीय क्षेत्र पर होगा अन्य सभी अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाए, संपूर्ण राज्य पर या ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर जो आयुक्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, होगा ।

अधिकारियों की शक्तियां .

5. (1) राज्य कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

(2) राज्य कर अधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी अन्य राज्य कर अधिकारी पर इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी शक्तियों का, उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य राज्य कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा ।

कतिपय परिस्थितियों में केंद्रीय कर अधिकारियों का समुचित प्राधिकारी के रूप में प्राधिकरण.

6. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करेगी, समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,--

(क) जहां कोई समुचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश जारी करता है, वहां वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन केंद्रीय कर के अधिकारिता अधिकारी की प्रज्ञापना के अधीन, उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप में भी आदेश जारी करेगा;

(ख) जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई समुचित अधिकारी, किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ करता है, वहां समुचित अधिकारी उसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं करेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-जहां लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी ।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

प्रदाय की परिधि.

7. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "प्रदाय" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,-

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या

व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सभी प्ररूप ;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं ;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ; और

(घ) अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माने गए क्रियाकलाप ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, या

(ख) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्‌वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों, जिन्हें सरकार द्‌वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, के रूप में संलग्नरत हैं;

न तो माल के प्रदाय के रूप में और न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्‌वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,--

(क) माल के प्रदाय के रूप में, न कि सेवाओं के प्रदाय के रूप में ; या

(ख) सेवाओं के प्रदाय के रूप में, न कि माल के प्रदाय के रूप में,

माना जाएगा ।

संयुक्त और मिश्रित प्रदायों पर कर का दायित्व.

8. किसी संयुक्त या मिश्रित प्रदाय पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए किसी संयुक्त प्रदाय को, जिसमें से एक मुख्य प्रदाय है, ऐसे मुख्य प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा ; और

(ख) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए मिश्रित प्रदाय को उस विशिष्ट प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम है ।

उद्‌ग्रहण और संग्रहण.

9. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्‌यसारिकपान के प्रदाय को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अंतरराज्यिक प्रदायों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्‌वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नामक कर का, ऐसी रीति

से, जो विहित की जाए, उद्‌ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्‌वारा संदत्त किया जाएगा ।

(2) अपरिष्कृत पैट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पैट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रदाय पर राज्य कर का उद्‌ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा, जो सरकार द्‌वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए ।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्‌वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्‌वारा विपरीत प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है ।

(4) किसी ऐसे प्रदायकर्ता द्‌वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्‌वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में विपरीत प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्‌वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतरराज्यिक प्रदायों पर कर इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक द्‌वारा संदत्त किया जाएगा, यदि सेवाओं का प्रदाय उसके माध्यम से किया जाता है, और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा प्रदायकर्ता है जो ऐसी सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है :

परंतु यदि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा :

परंतु यह और कि जहाँ कराधेय राज्यक्षेत्र में इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलैक्ट्रानिक प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा ।

प्रशमन उद्‌ग्रहण.

10. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो

विहित किए जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किंतु जो, --

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त के ढ़ाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(ग) अन्य प्रदायकर्ताओं की दशा में, राज्य में के आवर्त के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रूपए की उक्त सीमा को एक करोड़ रूपए से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,--

(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है ;

(ख) वह ऐसे किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा हुआ है, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्रहणीय नहीं है ;

(ग) वह माल के किसी अन्तर्राज्यिक जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है ;

(घ) वह किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा है ;

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए :

1961 का 43

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी) स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस उपधारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जब वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा ।

(4) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा

और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा ।

(5) यदि समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे ।

कर से छूट देने की शक्ति.

11. (1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी ।

(2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी ।

(3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश की परिधि या लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानों वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था ।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश को यथास्थिति इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना या आदेश, समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

अध्याय 4

प्रदाय का समय और मूल्य

माल के प्रदाय का समय.

12. (1) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उदभूत होगा ।

(2) माल के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे प्रदाय की बाबत के बीजक जारी करने की अपेक्षा है ; या

(ख) वह तारीख, जिसको प्रदायकर्ता प्रदाय के बाबत संदाय प्राप्त करता है :

परंतु जहां कराधेय माल का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रूपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किए जाने की तारीख होगा ।

स्पष्टीकरण 1–खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "प्रदाय" को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहां तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है ।

स्पष्टीकरण 2–खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ऐसी तारीख, जिसको प्रदायकर्ता संदाय प्राप्त करता है, वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिनके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) माल प्राप्ति की तारीख ; या

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परंतु जहां खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी ।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय होगा,--